

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो राजेन्द्र कुमार गुप्ता 2. वर्तमान धारित पद सी० डेप्युटि
 3. वर्तमान वेतन 9100/- 4. अपली वेतनवृद्धि की तारीख 01-9-10

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	इसे किस प्रकार अर्जित किया गया **स्वरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरे	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. बीना - जिला-सागर	मकान [12x6.5मी] प्लॉट क्रम-31-10-88	—	15 लाख	स्वयं धारक	हाउसिंग बोर्ड से प्लॉट व्यय कर कर बनाया वर्ष 2000-01 में निर्मित P.N.B. Bank से वित्तपोषित, बैंधक	0.84 लाख प्रति वर्ष	—
2. do -	—	प्लॉट [40x50'] = 2000 वर्ग फुट	2.5 लाख अनुमानित	पत्नि-हंसा गुप्ता	निजी कालोन। 322 से क्रम- वर्ष-1997-98 दि-05-2-1998	—	—
3. do -	—	प्लॉट [12x6.5मी]	3.0 लाख अनुमानित	स्वयं	हाउसिंग बोर्ड से बुका लीज डीए-शेष वर्ष 2001-02 से वर्ष 2008-09 की अवधि में भुगतान	—	—

* - जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही विवरण करवा संभव न हो, तहां वर्तमान स्थिति के मूल्यांकन में लागू मूल्य का उपयोग करना।
 *** इसमें बालपञ्चवलीन पट्टे भी सम्मिलित है।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के परीक्षा पर भाग लेना-पत्र पर भर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति का व्यौरे दें।

सहसचिव R.N.P.S.
 नाम राजेन्द्र कुमार गुप्ता
 पद सी० डेप्युटि